न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 122 / 2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2020 / 00349

वादी बनाम प्रतिवादी

दौलाराम पुत्र जोगाराम

जाति कुम्हार

निवासी कुम्हारो का वास,पचपदरा

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1.अमराराम पुत्र जोगाराम

2.ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम

3.श्रीमति अणसीदेवी पत्नी जोगाराम

जाति कुम्हार निवासी कुम्हारो का वास,पचपदरा

4.अशोककुमार पुत्र मंशाराम जाति सुथार निवासी बैल्लारी (कर्नाटक)

5.राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.वादी स्वंय उपस्थित।

2.श्री जेठूलाल कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

3.प्रतिवादी संख्या 3 से 5 एकतरफा।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक– 03.12.2024

संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 180 व ग्राम चिरडाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 64 एवं ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 621,622,623,624 व 748 भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 02.10.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। विभाजन प्रस्ताव

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मुताबिक उभयपक्ष बंटवाड़ा करवाने के लिए सहमत है। ऐसी सूरत में विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 180 व ग्राम चिरडाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 64 एवं ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 621,622,623,624 व 748 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	वचिन्ह
1	अमराराम पुत्र जोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.पचपदरा खातेदार	मंडापुरा मंडापुरा मंडापुरा मंडापुरा पचपदरा मंडापुरा	620 621 623 624 180 748	0.1518 0.2708 0.0071 0.7380 0.8220 0.8811	लाल
2	अशोककुमार एम.पुत्र मन्साराम जाति सुथार सा.बेल्लारी कर्नाटक खातेदार	मंडापुरा	624	0.5058	हरा
3	ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह पचपदरा	मंडापुरा पचपदरा	621 622 623 624 748 180	0.4919 0.6829 0.4085 0.0903 0.8810 0.8220	नीला
4	दौलाराम पुत्र जोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.पचपदरा खातेदार	मंडापुरा पचपदरा	621 621 623 624 748 180	0.4175 0.0086 0.3305 0.9170 0.8810 0.8220	गुलाबी

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

5	अणसीदेवी पत्नी जोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.पचपदरा खातेदार	सिरडाणी	64	0.7566	बैगनी

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुतिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 03.12.24 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

03.12.024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 122 / 2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2020 / 00349

वादी	बनाम	प्रतिवादी
दौलाराम पुत्र जोगाराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारो का वास,पचपदरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.अमराराम पुत्र जोगाराम 2.ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम 3.श्रीमति अणसीदेवी पत्नी जोगाराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारो का वास,पचपदरा 4.अशोककुमार पुत्र मंशाराम जाति सुथार निवासी बैल्लारी (कर्नाटक) 5.राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:—53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 122 / 2020

निर्णय दिनांक :— 03.12.2024

वादी की ओर से श्री रामेश्वरलाल गहलोत अधिवक्ता मय स्वंय वादी की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जेडूलाल कुमावत की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 03.12.2024 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:—वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 03.12.2024 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 03.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

03.12.2024

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया -------	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया --------
जोड़	-----	जोड़	-------

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा